भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2554
(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत नामांकित श्रमिक

2554. प्रो. सौगत राय:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अब तक नामांकित श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा और संख्या कितनी है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में श्रमिकों का मनरेगा से विलोप कर दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो अब तक मनरेगा से विलोपित श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या श्रमिकों की डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रयुक्त राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली और मजदूरी संवितरण के लिए प्रयुक्त आधार आधारित भुगतान प्रणाली के कारण पहले ही अनुमानित दो करोड़ श्रमिकों का मनरेगा से विलोपन हो गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत नामांकित श्रमिकों की संख्या और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार की है। जॉब कार्ड को अद्यतन करवाना/रद्द करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संचालित एक नियमित प्रक्रिया है। जॉब कार्ड को रद्द करने के कारण मुख्य रूप से नकली/डुप्लिकेट/गलत जॉब कार्ड होना, ग्राम पंचायत से परिवार का स्थायी रूप से चले जाना, ग्राम पंचायत को शहरी के रूप में वर्गीकृत किया जाना और जॉब कार्ड में केवल एक सदस्य का नाम होना और बाद में उसकी मृत्यु हो जाना आदि हैं। हालांकि, श्रमिकों को

हटाने/जॉब कार्ड को रद्द करने के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम के प्रावधानों और मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्य या पात्र किसी परिवार का जॉब कार्ड हटाया/रद्द नहीं किया गया है। नरेगासॉफ्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 111.60 लाख श्रमिकों को हटा दिया और 230.38 लाख श्रमिकों को शामिल किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 11.12.2025 तक) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 57.34 लाख श्रमिकों को हटा दिया गया है, जबकि 121.62 लाख श्रमिकों को शामिल किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना से हटाए गए श्रमिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) और (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र दिनांक 01 जनवरी, 2023 से राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य के अलावा) के लिए एक दिन में श्रमिकों की दो टाइम स्टैम्पड, जियो-टैग किए गए फोटोग्राफ के साथ एनएमएमएस के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत लाभार्थियों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार परिवर्तन होने और बाद में अद्यतन न किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए, आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसे दिनांक 01 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

एनएमएम के कारण और आधार के साथ बैंक खातों को लिंक नहीं किए जाने के कारण कामगारों को हटाया/जॉब कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत नामांकित श्रमिकों के ब्यौरे और संख्या के संबंध में भाग (क) में उल्लिखित **अनुबंध-I**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत श्रमिकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	11199500
2	अरुणाचल प्रदेश	474397
3	असम	11688282
4	बिहार	27388677
5	छत्तीसगढ़	8144322
6	गोवा	52349
7	गुजरात	9868850
8	हरियाणा	2637187
9	हिमाचल प्रदेश	2821793
10	जम्मू और कश्मीर	2255663
11	झारखंड	10661484
12	कर्नाटक	17871532
13	केरल	5799413
14	लद्दाख	49063
15	मध्य प्रदेश	18653186
16	महाराष्ट्र	33228451
17	मणिपुर	936183
18	मेघालय	1263070
19	मिजोरम	237164
20	नागालैंड	632250
21	ओडिशा	10823657
22	पंजाब	3008852
23	राजस्थान	23349110
24	सिक्किम	136243
25	तमिलनाडु	11008775
26	तेलंगाना	10030457
27	त्रिपुरा	1218458
28	उत्तर प्रदेश	23567799
29	उत्तराखंड	1569715
30	पश्चिम बंगाल	25640924
31	अंडमान और निकोबार	53398

32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	46260
33	लक्षद्वीप	16455
34	पुदुचेरी	117030
	कुल	**276449949**

वित्त वर्ष 2024-25 और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 11.12.2025 तक) महात्मा गांधी नरेगा योजना से हटाए गए श्रमिकों की राज्य-वार संख्या के संबंध में भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित **अनुबंध-II**

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2024-2025**		**2025-2026 (दिनांक 11.12.2025 तक)**	
		हटाए गए श्रमिक	**शामिल किए गए श्रमिक**	**हटाए गए श्रमिक**	**शामिल किए गए श्रमिक**
1	आंध्र प्रदेश	461733	647818	1838628	466136
2	अरुणाचल प्रदेश	58854	34487	31788	27285
3	असम	1819212	629904	109634	1097275
4	बिहार	1561159	10134595	113296	1758713
5	छत्तीसगढ	1489327	502830	492178	502120
6	गोवा	73	534	12	999
7	गुजरात	174331	1077181	68031	174782
8	हरियाणा	18466	147281	10793	196117
9	हिमाचल प्रदेश	29714	108638	65797	35302
10	जम्मू और कश्मीर	103808	185737	241590	98971
11	झारखंड	363396	640445	54112	380195
12	कर्नाटक	243101	458579	536372	339390
13	केरल	213578	154436	80517	145488
14	लद्दाख	2342	1364	3378	2154
15	मध्य प्रदेश	224539	1006749	69874	641711
16	महाराष्ट्र	156962	1291870	276271	3658135
17	मणिपुर	93300	63004	40784	52734
18	मेघालय	76109	71766	16628	45759
19	मिजोरम	28339	21118	21781	20622
20	नागालैंड	90310	76118	225264	63368

21	ओडिशा	1122016	1283764	346144	446436
22	पंजाब	45142	238015	64448	112911
23	राजस्थान	313844	1032942	183202	389222
24	सिक्किम	9200	3843	4828	2977
25	तमिलनाडु	1716015	256050	141364	109197
26	तेलंगाना	335382	233119	500698	57841
27	त्रिपुरा	44239	63607	63131	37576
28	उत्तर प्रदेश	154356	2593617	72352	1249392
29	उत्तराखंड	169132	56553	59524	29983
30	पश्चिम बंगाल	38642	10692	103	11335
31	अंडमान और निकोबार	765	784	1096	897
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	172	7809	186	4600
33	लक्षद्वीप	137	71	345	89
34	पुदुचेरी	2267	3075	568	2134
	कुल	**11159962**	**23038395**	**5734717**	**12161846**